झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

विषयः– योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोषांग के अन्तर्गत पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

योजना एवं विकास विभाग में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभावकारी ढंग से करने के लिए अनुश्रवण कोषांग के गठन की नितांत आवश्यकता है।

2. अतः योजना एवं विकास विभाग में अनुश्रवण कोषांग गठित करते हुए निम्नांकित पद मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में सृजित किये जाते हैं–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निदेशक/उप सचिव	1	12000–16500
2	शोध पदाधिकारी	1	10000 नियत
3	प्रोगामर	1	7500 नियत
4	डाटा इन्ट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर	3	5100 नियत
	योग	6	

3. उपर्युक्त सृजित पदों को निम्न प्रकार भरे जायेंगे:–
   (क) उप निदेशक/उप सचिव का पद राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।
   (ख) शोध पदाधिकारी का पद अनुबंध से भरा जायेगा। इस पद पर Master in Business Administration/Post Graduate Diploma Management/ स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र/सांख्यिकी) शैक्षणिक योग्यता के व्यक्ति को रखा जायेगा।
   (ग) प्रोगामर/डाटा इन्ट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आउटसोर्सिंग द्वारा सेवाएं प्राप्त की जायेगी।

आदेशः इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(रतन कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक.................................यो०वि०, रॉंची, दिनांक..............................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट में प्रकाशनोपरांत इसकी 50 प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 204 यो०वि०, रॉंची, दिनांक 20/03/07

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉंची/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय स्थापना शाखा (तीन प्रतियों में)/विभागीय लेखा शाखा (तीन प्रतियों में) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव